

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या-5/आ0-2-108/2015- 110

पटना, दिनांक- 17-2-17

श्री बाल्मिकी मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना के विरुद्ध लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा के पदस्थापन अवधि में अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता, श्री रवीन्द्रनाथ चौरसिया (सेवानिवृत्त) द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान मद में अग्रिम राशि का समायोजन नहीं करने, दोषी कनीय अभियंता के विरुद्ध तत्कालीन जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने आदि तबथा सभी आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये गये। फलतः प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के आलोक में उनके विरुद्ध आरोप प्रपत्र 'क' में आरोप गठित किया गया।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री मंडल के विरुद्ध अभिकथित आरोपों के लिए बिहार सरकार यह आदेश देते हैं कि श्री बाल्मिकी मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना के विरुद्ध बिहार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 2005 के नियम-17 (2) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय।

बिहार राज्यपाल विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, जांच-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं श्री सादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल संख्या-4 को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।


जांच संचालन पदाधिकारी श्री मंडल, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर जांच संचालन पदाधिकारी को उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित आदेश प्राप्त करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 कार्य दिवसों के भीतर जांच संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों का अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच संचालन पदाधिकारी को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।




आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप प्रपत्र के साथ श्री बाल्मिकी मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य विभाग, मधेपुरा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना / विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री सादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण अंचल संख्या-4 को प्रेषित किया जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

संख्या-5/आ0-2-108/2015- 110 पटना, दिनांक- 17.2.17
विषय:- श्री बाल्मिकी मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य विभाग, मधेपुरा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना / विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री सादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल संख्या-4 को संकल्प की प्रति एवं आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

संख्या-5/आ0-2-108/2015- 110 पटना, दिनांक- 17.2.17
विषय:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 मधेपुरा सम्प्रति, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव